अनुदान संख्या – 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	251248,34,00	302153,61,00	301730,92,60	-422,68,40
पूरक	Supplementary	50905,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				422,60,71
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	52725,96,00	52725,97,00	2630,39,90	- 50095,57,10
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				50095,56,50

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः –

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7391.00	6682.97	6681.98	- 0.99
पु.	R.	- 708.03			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	25069674.00			
पू.	S.	5090526.00	30165467.13	30165460.44	-6.69
पु.	R.	5267.13			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	40819.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	- 40820.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	6950.00			
			950.19	950.18	-0.01
पु.	R.	-5999.81			

(I) ₹40923.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2021 में प्राप्त किए गए है ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹40000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "सिविल आपूर्ति – अन्य अनुदान – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तर–राज्य आवाजाही, एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन संबंधी कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता'' के अंतर्गत – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹40923.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2021) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹40000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Civil Supplies - Other Grants - Central assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(I) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2408" – "Food" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम–पीडीएस)" – ₹1885.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2021 में ₹415.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2300.00 लाख का दिया गया जो, तथापि, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र/नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक. से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹190.38 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Direction and Administration - Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS)" – the original provision of ₹1885.00 lakhs was augmented to ₹2300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹415.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilised to the extent of ₹190.38 lakhs – due to receipt of less number of proposals from National Informatics Centre/National Informatics Centre Servics Inc.

(खा) "अधिप्राप्ति और आपूर्ति – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तर–राज्य आवाजाही, एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन संबंधी कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता" ₹309600.00 लाख के मूल अनुदान को ₹181100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹490700.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, स्कीम के सामान्य घटक के अंतर्गत सहायता–अनुदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹1260.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Procurement and Supply – Central Assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" –the original provision of ₹309600.00 lakhs was augmented to ₹490700.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹181100.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilised to the extent of ₹1260.00 lakhs – due to requirement of less funds towards Grants-in-Aid under General component of the scheme.

(गा) "खाद्य सहायिकी"–

(क) "चीनी के 40 एलएमटी बफर स्टॉक तैयार करना और उसका रखरखाव" – ₹60000.00 लाख के मूल अनुदान को दिसंबर, 2021 में ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹70000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, सहायिकियों के लिए कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण ₹9230.18 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Food Subsidies"-

(a) "Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of 40 LMT of Sugar"– the original provision of ₹60000.00 lakhs was augmented to ₹70000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilised to the extent of ₹9230.18 lakhs – due to receipt of less number of claims for subsidies.

(ख) "2019–20 सत्र के लिए चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम'' – ₹100000.00 लाख के मूल अनुदान को जुलाई, 2021 और दिसंबर, 2021 में ₹115000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹215000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, कम संख्या में दावे प्राप्त होने और लंबित औपचारिकताओं की वजह से कुछ दावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ₹2914.30 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2019-20 Season" - the original provision of ₹100000.00 lakhs was augmented to ₹215000.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹115000.00 lakhs in July, 2021 and December, 2021 which, however, remained unutilised to the extent of ₹2914.30 lakhs – due to receipt of less number of claims and non-finalisation of some claims owing to pending formalities.

(ग) "चीनी मिलों को संचालन, अपग्रेडिंग तथा अन्य प्रोसेसिंग लागतों सहित विपणन लागतों तथा चीनी के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों पर लागत के लिए सहायता मुहैया कराने हेतु स्कीम" – ₹200000.00 लाख के मूल अनुदान को दिसंबर, 2021 में ₹150000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹350000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, चीनी मिलों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण ₹2238.49 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) "Scheme for providing assistance to Sugar Mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar" - the original provision of ₹200000.00 lakhs was augmented to ₹350000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹150000.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilised to the extent of ₹2238.49 lakhs – due to less number of claims received from sugar mills.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" "सचिवालय – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" के अंतर्गत – ₹695.81 लाख की बचत (₹7314.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने तथा छुट्टी यात्रा रियायत, किए गए दौरों, दिहाड़ियों, लघु कार्यों, व्यावसायिक सेवाओं तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Food and Public Distribution" – saving of ₹695.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7314.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards Leave Travel Concession, tours undertaken, wages, minor works, professional services, and other establishment related expenses, owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2408" – "Food" – savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – पीडीएस संचालन का सुदृढ़ीकरण" – ₹587.25 लाख की बचत (₹674.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संघटको– 'पीडीएस – प्रशिक्षण', 'पीडीएस–मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और अनुसंधान' तथा 'जागरूकता उत्पन्न करना' को परियोजनाओं में परिवर्तित करने और स्कीम संघटक 'स्वदेशी/वैश्विक तथा खाद्यान्न के लिए बाजारों में अनुसंधान/मॉनिटरिंग के लिए कन्सलटेंसीज' को बंद किए जाने और प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration – Strengthening of PDS Operation" – saving of ₹587.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹674.00 lakhs) was due to conversion of scheme components 'PDS-Training', 'PDS-Evaluation, Monitoring & Research' and 'Generating Awareness' into Projects, and closure of scheme component 'Consultancies for research/monitoring in domestic/global and markets for foodgrains and non-receipt of proposals and pending utilisation certificates from States/Union Territories.

(खा) "खाद्य सहायिकी" –

(B) "Food Subsidies" –

(क) "ईथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और संवर्धन के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु स्कीम" – ₹14000.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने और कार्यान्वयन एजेंसी के पास अव्ययित बकाया उपलब्ध होने के कारण हुई।

(a) "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" - saving of ₹14000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to less number of claims received from sugar mills and availability of unspent balance with the implementing agency.

(ख) "चीनी मिलों को 2018–19 सत्र के लिए सहायता हेतु स्कीम'' – ₹7782.43 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Scheme for Assistance to Sugar Mills for 2018-19 Season" - saving of ₹7782.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less number of claims received from sugar mills.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम'' – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(V) Under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – चावल को पोषणयुक्त बनाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसका वितरण'' – ₹5222.55 लाख की बचत (₹6068.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Central Assistance/Share – Fortification of Rice and its Distribution under Public Distribution System" - saving of ₹5222.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6068.00 lakhs); and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – चावल को पोषणयुक्त बनाना और इसका सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत इसका वितरण'' – ₹574.28 लाख की बचत (₹581.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Fortification of Rice and its Distribution under Public Distribution System" - saving of ₹574.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹581.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चावल फोर्टिफिकेशन इकोसिस्टम में परिपक्वता में कमी, नीतिगत अनिश्चितता और ब्लेंडिंग अवसंरचना के लिए केपेक्स की आवश्यकता के कारण चावल मिल स्वामियों का विरोध, इसके नई संकल्पना होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण समुदाय द्वारा स्वीकार्यता में चुनौती के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to lack of maturity in Rice Fortification Ecosystem, resistance by Rice Millers because of policy uncertainty and CAPEX requirement for blending infrastructure, challenge of acceptability by the community it being a new concept and COVID-19 pandemic.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹276.76 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹276.76 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3929.20 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹4980526.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

2.(I) The above savings were partly (₹3929.20 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹4980526.00 lakhs under Major Head "2408" – "Food" under the following heads:-

(का) "खाद्य सहायिकी – चीनी के बफर स्टॉक तैयार करने और उसकी देखरेख हेतु स्कीम" – ₹3099.20 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3103.50 लाख था।

(A) "Food Subsidies – Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar" – ₹3099.20 lakhs. Actual excess, however, was ₹3103.50 lakhs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तर–राज्य आवाजाही, एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन संबंधी कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता'' ₹830.00 लाख।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Central assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA" – ₹830.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – अधिप्राप्ति और आपूर्ति – पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तर–राज्य आवाजाही, एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन संबंधी कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹40000.00 लाख का अधिक व्यय ('शून्य' स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2408" – "Food - Procurement and Supply – Central Assistance to States/UTs for meeting expenditure on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealer's margin under NFSA in NER" excess of ₹40000.00 lakhs (against 'nil' sanctioned provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4021.00			
			..	..	..
पु.	R.	-4021.00			
मुख्य शीर्ष "6408" खाद्य भण्डारण और भांडागार के लिए ऋण	Major Head "6408" Loans for Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	5000000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5000000.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोगता उद्योगों के लिए ऋण	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	16500.00			
पू.	S.	1.00	12110.01	12110.00	-0.01
पु.	R.	-4390.99			

(I) ₹5006277.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णरूप से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹5005021.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए: –

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "भण्डारण तथा भाण्डागार – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम''' – ₹4021.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(I) Provision of ₹5006277.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹5005021.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings – Food Corporation of India"- ₹4021.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "6408" – "खाद्य – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम'' – ₹5000000.00 लाख – भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त खाद्य सहायिकी की उपलब्धता के कारण।

(B) Major Head "6408" – "Food – Loans to Public Sector and Other Undertakings- Ways and Means Advance payable to FCI" – ₹5000000.00 lakhs - due to availability of sufficient food subsidy with Food Corporation of India.

(गा) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण'' – ₹1000.00 लाख – स्कीम के मांग प्रेरित होने और ऋण जारी करने के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(C) Major Head "6860" – "Sugar – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Rehabilitation/ Modernisation of Sugar Mills" – ₹1000.00 lakhs – due to scheme being demand driven and non-finalisation of the proposals for release of loans.

(II) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – बगासे आधारित कोजनेरेशन पावर परियोजना के लिए चीनी फैक्ट्री" – ₹4215.68 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनिवार्य शर्तों के पूरा न होने की वजह से ऋण वितरण के लिए कम संख्या में प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6860" – "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings – Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project" - saving of ₹4215.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to finalisation of less number of proposals for disbursement of loans owing to non-fulfilment of mandatory conditions.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1324.68 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – एल्कोहल से एनहाईड्रस एल्कोहल अथवा ईथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियां'' के अंतर्गत मार्च, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were partly (₹1324.68 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "6860" – "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings– Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol".